

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक : प.6(ख)लेखा /आडिट समिति /एजी /डीएलवी /2020/32170 दिनांक : 02-01-2023

:: कार्यवाही विवरण ::

विभागीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 22.12.2022

निर्धारित कार्य क्रमानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: प.5(20)प्र.स./अनु.3/86 दिनांक 10.05.2010 द्वारा गठित विभागीय आडिट समिति की बैठक (A.G.) दिनांक 22.12.2022 को मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजो जयपुर की अध्यक्षता में निदेशालय के मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुयी जिसमें जयपुर स्थित कार्यालयों के स्थानीय अधिकारी उपस्थित हुये एवं बाहर के अधिकारियों ने जरिये विडियो कान्फ्रेसिंग भाग लिया। उक्तानुसार निर्धारित समय पर बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

01. श्री डॉ. जोगाराम, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
02. श्री हृदयेश कुमार शर्मा, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
03. श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, (लेखापरीक्षा-ग), राजस्थान जयपुर।
04. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. श्री कृष्ण कन्हैया, मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम हैरीटेज, राजस्थान जयपुर।
06. श्री महेन्द्र सक्सेना, वरिष्ठ लेखापरीक्षाधिकारी, महालेखाकार लेखापरीक्षा-ग, राजस्थान जयपुर।
07. श्रीमति भारती हरजवानी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. श्री राजेन्द्र चौहान, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर।
09. श्री. गणेश नारायण गुर्जर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम हैरीटेज, राजस्थान जयपुर।
10. विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर इत्यादि ने भाग लिया।
11. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, निदेशालय जयपुर।

मिटिंग के दौरान प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया एजेंडा दिनांक 05.12.2022 पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1 बिन्दु संख्या 1 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के भीतर नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी एवं कुंजी दस्तावेज सहित भिजवानी होती है, किन्तु निकायों द्वारा इसे समय पर नहीं भिजवाया गया है। महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना के क्रम में शीघ्र ही 7 दिवस में प्रथम अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निकायों को निर्देश दिये गये।
2. बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार अंकेक्षण के उपरान्त जारी ज्ञापनों का जवाब नहीं देने, जॉच दल को रिकोर्ड उपलब्ध नहीं करवाने, जॉच दल को सहयोग नहीं देने तथा गत वर्षों की बकाया प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने को अध्यक्ष एवं निदेशक महोदय ने गंभीरता से लिया तथा अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया की महालेखाकार कार्यालय के जॉच दल को अविलम्ब रिकोर्ड उपलब्ध करवाया जाये व उनके मीमों का जवाब तुरन्त दिया जाये। साथ ही पुराने बकाया अनुच्छेदों की सारागर्भित अनुपालना तैयार कर प्रस्तुत की जावें।
- 3 निकायों के सनदी लेखाकार (C.A) द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (आय-व्यय खाता, तुलना पत्र एवं चट्ठा) इस कार्यालय को भिजवाने के बारे में निर्देशित किया जाना के संबंध में अवगत कराया गया कि राज्य की समस्त नगरीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त वार्षिक लेखों को सीए से अंकेक्षण कराये जाने पश्चात वार्षिक अंकेक्षित लेखों की एक प्रति निदेशालय में प्रेषित करती है तथा साथ ही निकायों द्वारा उक्त वार्षिक अंकेक्षित लेखों की सॉफ्ट प्रति निकाय की विभागीय वैबसाईट पर भी अपलोड की जाती है। इसके साथ ही वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा 15 वें वित्त आयोग के बाध्य अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार City finance portal पर भी नगरीय निकायों द्वारा संबंधित निकाय के Unaudited

एवं Audited financial statements अपलोड किये जा रहे हैं उसी के उपरान्त नगरीय निकायों को बाध्य अनुदान राशि की प्राप्ति हो रही है।

- 4 राज्य की सभी नगरीय निकायों में Accrual System से लेखांकन कार्य हेतु RMAM के आधार पर राज्य में वर्ष 2010 से राजस्थान स्थूनिसिपल अकाउन्ट्स मैन्यूअल (RMAM) तैयार किये गये हैं। नगरीय निकायों में दौहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन कार्य हेतु लेखांकन के क्षेत्र में दक्ष (skill) कार्मिकों के अभाव में विभागीय निविदा के माध्यम से सम्भागवार सीए फर्मों को सूचिबद्ध करते हुये सूचीबद्ध सीए फर्मों के outsourcing के माध्यम से नियमित तौर पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य की समस्त नगरीय निकायों में उपार्जन आधारित दौहरा लेखा प्रणाली (Accrual Based Double Entry Accounting system) से कार्य को और भी अधिक सुनिश्चित के साथ किये जाने हेतु वर्तमान में एक Accounting Software बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त Software सूचना एवं जनसम्पर्क एवं प्रौद्योगिक विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से तैयार करवाया जाना है। उपरोक्त Software बनाये जाने उपरान्त समस्त नगरीय निकायों के वार्षिक लेखें Accrual Based Double Entry Accounting system से Online web portal पर तैयार किये जा सकेंगे एवं लेखांकन कार्य में भी पारदर्शिता आयेगी। इस प्रक्रिया को बिना विलम्ब के प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर सम्पन्न किया जा रहा है, पुनः इस बाबत् संबंधित निकायों को उक्त कार्य हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया।
- 5 जयपुर नगर निगम की वर्ष 1998–2001 से 2021–22 तक कुल 17 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल 730 आक्षेपों की अनुपालना शेष है। जिसके संबंध में नगर निगम जयपुर के मुख्य लेखाधिकारी ने शीघ्र ही अनुपालना प्रेषित किये जाने की प्रतिबद्धता दोहराई जिसके लिये उन्हे निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही महालेखाकार को पत्र लिख कर बकाया पैराज के निस्तारण हेतु निर्धारित तिथि पर शीघ्र कैम्प लगाकर अधिक से अधिक अनुच्छेदों को ठोस अनुपालना प्रस्तुत करते हुए बकाया पैराज को निरस्त करवाने का निर्देश दिया गया।
- 6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) के अध्याय—गा में शामिल वांछित सूचनायें निदेशालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के संबंध में पूर्ण ध्यान रखते हुए वर्ष 2021–22 के सीएजी प्रतिवेदन हेतु सूचना विभागीय पत्रांक 25665 दिनांक 03.11.2022 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। इसी तरह भविष्य में भी नियमित रूप से समय पर महालेखाकार को सूचनाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
- 7 बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है अथवा नहीं के संबंध में विभाग में पहले से ही कार्यरत मुख्य लेखाधिकारी का पद वित्तीय सलाहकार के पद पर प्रोनन्त होने पर विभाग के वित्तीय सलाहकार को ही राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने की पालना कर दी गयी है।
- 8 माह नवम्बर 2022 तक जारी कुल 955 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें गठित कुल आक्षेप 7987 (भाग गा एवं भाग गा ख) बकाया है जिनमें से 10 नगर निगमों के कुल 2183 आक्षेप भी बकाया के संबंध में निकायों को शीघ्र ही कैम्प आयोजित कर ठोस अनुपालनाएँ प्रस्तुत करते हुए बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण बाबत् निर्देश दिये जाकर अनुपालनाएँ समय पर प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 9 चोरी, हानि, गबन संबंधी प्रकरण। (गबन 7/चोरी 02) के संबंध में जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनकी प्रगति से अवगत कराने, जिनकी वसूली बकाया है यथासम्भव वसूली करने एवं प्रकरणों के अनुसार अनुपालना कर प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- 10 तथ्यात्मक विवरणों के प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करने से संबंधित प्रकरण के संबंध में संबंधित को शीघ्र ही पालना प्रेषित करने हेतु कहा गया ताकि उक्त तथ्यात्मक विवरण आगे जाकर सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो। इस सम्बंध में निर्धारित समय में सम्बंधित निकायों द्वारा शीघ्र ही प्रत्युत्तर तैयार कर अनुपालना गिजवाने के निर्देश दिये गये।
- 11 ओ.वी आइटमों/प्रकरणों की सूचना 1 प्रकरण के संबंध में शीघ्र ही महालेखाकार को अनुपालना से अवगत कराने बाबत् निर्णय लिया गया।
- 12 बिन्दु संख्या 13 के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों/संशोधनों की एक एक प्रति महालेखाकार, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (लेखापरीक्षा) जयपुर को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जावें।

चर्चा के दौरान शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग ने बकाया पैराज के संबंध में गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा बकाया पैराज की अनुपालना हेतु माह जनवरी 2023 तक निकाय स्तर पर समस्त नगर निगमों में कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये तथा आयोजित होने वाले कैम्पों में पूर्ण तैयारी के साथ एवं लेखापरीक्षा के दौरान प्रमुख आक्षेप जो कि पूर्व में भी पाये जाते रहे हैं की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग की टिप्पणी कराने के उपरान्त निस्तारित होने वाले संभावित पैराज की संख्या की प्रोगेस का ड्राफ्ट विवरण तैयार कर संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक के माध्यम से महालेखाकार के बकाया पैराज के निस्तारण हेतु कैम्प की तिथि निर्धारित करने हेतु प्रेषित किया जावें ताकि अधिकाधिक पुराने आक्षेप निरस्त होकर वास्तविक रूप से अनुपालना हो सके।


अन्त में बैठक का निदेशक एवं विशिष्ट सचिव द्वारा सधन्यवाद समापन किया गया।


(हैदरेन कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.6(ख)लेखा /आडिट समिति /एजी /डीएलबी /2020/ **32171** तो दिनांक : **02-01-2023**

32442

01. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-ग), राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सहायक, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/ कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण।
05. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग), शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर।
08. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर/जयपुर हैरीटेज, ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर, दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर, दक्षिण।
09. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
10. लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
12. कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को सूचनार्थ।
13. प्रभारी आईटी सेल को विभागीय बैवसाइड पर अपलोड करवाने हेतु।


(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार